प्रारंभिक परीक्षा

आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC)

संदर्भ

- ओडिशा के बालासोर में एक छात्रा ने आत्मदाह कर लिया, जब उसके विभागाध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत को कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) ने खारिज कर दिया।
- छात्रा के परिवार का दावा है कि ICC पक्षपाती थी और उसके सदस्य ठीक से प्रशिक्षित नहीं थे, जिससे संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठे हैं।

आंतरिक शिकायत समिति (ICC) - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक कानूनी तंत्र -

- **उत्पत्ति और कानूनी आधार**
  - **विशाखा दिशानिर्देश (1997):**
    - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राज्य सरकार राजस्थान मामले में निर्धारित किए गए।
    - यह दिशा-निर्देश भंवरी देवी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता के सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद बनाए गए, जिन्होंने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया था।
    - यह यौन उत्पीड़न को पहली बार मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21) का उल्लंघन मानने की कानूनी मान्यता थी।
    - सभी कार्यस्थलों पर शिकायत समिति (Complaints Committee) गठित करना अनिवार्य किया गया।
  - **वैधानिक समर्थन: POSH अधिनियम (2013)**
    - **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**
    - विशाखा दिशानिर्देशों को प्रवर्तनीय कानून में परिवर्तित किया गया।
    - **10 या अधिक कर्मचारियों** वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** का गठन अनिवार्य किया गया।
- **ICC की संरचना (POSH अधिनियम के तहत)**
  - **पीठासीन अधिकारी**: एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी (अनिवार्य)
  - **दो या अधिक सदस्य**: कानूनी ज्ञान या सामाजिक कार्य में अनुभव के साथ
  - **बाह्य सदस्य**: किसी गैर सरकारी संगठन या कानूनी क्षेत्र से (स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए)
  - कम से कम **50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए**
- **शक्तियाँ और कार्य**
  - **अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ**:
    - समिति व्यक्तियों को बुला सकती है और दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है।
    - सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समान जांच का संचालन करना।
  - **कर्तव्य**:
    - यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना।
    - अनुशंसित कार्रवाई (चेतावनी, बर्खास्तगी, वेतन में कटौती, आदि) के साथ नियोक्ता को निष्कर्ष प्रस्तुत करना।
    - निजता, शिकायतकर्ता की सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम सुनिश्चित करना।
- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा (धारा 2(n) के अंतर्गत, POSH अधिनियम)**
  - शारीरिक संपर्क और अशोभनीय हरकतें
  - यौन लाभ के लिए मांग या अनुरोध
  - यौन भाव वाली अशोभनीय या आपत्तिजनक टिप्पणी

  - अश्लील सामग्री दिखाना
  - यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण
- **कार्यान्वयन की स्थिति (हालिया रिपोर्टों के अनुसार)**
  - **व्यापक गैर-अनुपालन**:
    - कई निजी और सरकारी संगठन ICC का उचित ढंग से गठन करने में विफल रहते हैं।
    - बाह्य सदस्यों की कमी, लैंगिक संतुलन का अभाव, या ICC का पूर्णतः अभाव होना आम बात है।
    - वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (नियम 14 के अंतर्गत अनिवार्य) प्रायः प्रस्तुत नहीं की जाती।
  - **दुरुपयोग और कम रिपोर्टिंग के मामले**:
    - कई महिलाएं प्रतिशोध या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के डर से रिपोर्ट नहीं करती हैं।
    - कभी-कभी ICC का उपयोग मुखबिरों को समर्थन देने के बजाय उन्हें दबाने के लिए किया जाता है।
- **ऐतिहासिक मामले और विकास**
  - **फारूकी केस**: सहमति और कार्यस्थल संबंधों में कानूनी अस्पष्टता को उजागर किया गया।
  - **टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम जेन डो**: **ICC** के आंतरिक अधिकार क्षेत्र की पुनः पुष्टि की गई।
  - **#मीटू आंदोलन**: व्यापक सार्वजनिक चर्चा को जन्म दिया; प्रमुख निगमों और मीडिया घरानों में **ICC** की विफलता को उजागर किया।
- **चुनौतियां**
  - कर्मचारियों में जागरूकता की कमी
  - आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों का अपर्याप्त प्रशिक्षण
  - कार्यवाही में नियोक्ता का पक्षपात या हस्तक्षेप
  - कुछ मामलों में तृतीय पक्ष महिलाओं (जैसे ग्राहक, विक्रेता) के लिए कोई सुरक्षा नहीं
  - पूरे भारत में कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई समयबद्ध पर्यवेक्षण निकाय नहीं

स्रोत: द हिंदू

अल्टरमैग्नेटिक CrSb में दिशा-निर्भर आवेश प्रवाह ध्रुवता

संदर्भ

क्रोमियम एंटिमोनाइड(CrSb) पहला ज्ञात अल्टरमैग्नेट बन गया है जो दिशा-निर्भर आवेश प्रवाह (Direction-Dependent Charge Flow) प्रदर्शित करता है, जिससे उन्नत **स्पिन्ट्रॉनिक्स** और **थर्मोइलेक्ट्रिक** उपकरणों का मार्ग प्रशस्त होता है।

अल्टरमैग्नेट्स के बारे में -

- **अल्टरमैग्नेट्स चुंबकीय पदार्थों का एक नया खोजा गया वर्ग हैं।**
- **ये फेरोमैग्नेट्स (मजबूत चुंबकीय प्रभाव) और एंटीफेरोमैग्नेट्स (शून्य कुल चुंबकत्व) के सर्वोत्तम गुणों को संयोजित करते हैं।**
- यद्यपि इनमें कोई शुद्ध बाह्य चुंबकत्व नहीं होता, इनका आंतरिक इलेक्ट्रॉन व्यवहार उन्नत तकनीकों, जैसे कि स्पिन्ट्रॉनिक्स (जो आवेश के बजाय इलेक्ट्रॉन के स्पिन में हेरफेर करता है), के लिए अत्यंत उपयोगी होता है।

अल्टरमैग्नेट्स की मुख्य विशेषताएँ -

- एंटीफेरोमैग्नेट्स की तरह की तरह शून्य शुद्ध चुम्बकत्व प्रदर्शित करते हैं।
- फेरोमैग्नेट्स की तरह गैर-सापेक्षिक स्पिन विभाजन (non-relativistic spin splitting) दिखाते हैं।
- दोनों में अद्वितीय स्पिन ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं:
  - वास्तविक स्थान (Real space: परमाणु संरचना),
  - संवेग स्थान (Momentum space: इलेक्ट्रॉन स्पिन का वितरण)।
- स्पिन कैलोरीट्रॉनिक्स के लिए आदर्श हैं—यह एक ऐसा क्षेत्र है जो स्पिन और ऊष्मा प्रवाह को जोड़ता है, जो पारंपरिक चुंबकों से संभव नहीं।
- अगली पीढ़ी की सूचना प्रसंस्करण और डेटा भंडारण तकनीकों में संभावित उपयोग।

क्रोमियम एंटिमोनाइड (CrSb) में अल्टरमैग्नेटिज़्म -

- CrSb एक धात्विक अल्टरमैग्नेट है, जिसमें असाधारण गुण हैं:
  - इसका चुंबकीय क्रम कमरे के तापमान से दो गुना अधिक तापमान पर भी स्थिर रहता है।
  - यह अब तक ज्ञात सबसे बड़ा अल्टरमैग्नेटिक स्पिन-विभाजन प्रदर्शित करता है।
- यह पहला ज्ञात अल्टरमैग्नेट है जो दिशा-निर्भर प्रवाह ध्रुवता (Direction-Dependent Conduction Polarity - DDCP) प्रदर्शित करता है।
- **CrSb**:
  - पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है,
  - विषहीन है, और
  - पर्यावरण के अनुकूल है।
- **ये विशेषताएँ CrSb को भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक और स्पिन्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती हैं।**

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 (National Cooperative Policy 2025)

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए 23 साल पुराने मौजूदा ढांचे की जगह एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की है।

राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के बारे में -

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया।
- **यह 23 वर्षों के बाद, यह 2002 की पिछली सहकारिता नीति का स्थान लेगी।**
- **"सहकार से समृद्धि"** के दृष्टिकोण के अनुरूप।
- अगले 20 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

उद्देश्य -

- सहकारी समितियों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।
- नये और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विस्तार करना।
- समावेशिता, पारदर्शिता और ग्राम-स्तरीय आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।

राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ -

- **2021 में एक समर्पित सहकारिता मंत्रालय का निर्माण।**
- **भारत में 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनकी पहुंच 31 करोड़ लोगों तक है।**
- इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है।
- **लक्ष्य**: देश भर में सहकारी समितियों में 30% की वृद्धि।

नीति के छह मुख्य स्तंभ -

1. आधारभूत प्रणालियों को मजबूत करना
2. मौजूदा सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना
3. डिजिटलीकरण और भविष्य की तैयारी
4. समावेशी पहुंच और भागीदारी
5. नए क्षेत्रों में विस्तार
6. युवा जुड़ाव और क्षमता निर्माण

2034 तक प्रमुख लक्ष्य -

- सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान को तीन गुना बढ़ाना।
- प्रत्येक गाँव में एक सहकारी समिति।
- 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी गतिविधियों में शामिल करना।

नए क्षेत्रों में विस्तार -

- सहकारी समितियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता:
    - हरित ऊर्जा
    - पर्यटन
    - बीमा
    - टैक्सी सेवाएं (सहकार टैक्सी)
- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS)** निम्नलिखित कार्य करेंगी:
    - ईंधन और एलपीजी वितरण
    - जन औषधि केंद्र

- सामान्य सेवा केंद्र (CSC)
- हर घर जल और पीएम सूर्य घर योजना जैसी ग्रामीण योजनाएं

आदर्श सहकारी गाँव -

- प्रत्येक तहसील निम्नलिखित के सहयोग से 5 आदर्श गांव विकसित करेगी:
  - राज्य सहकारी बैंकों
  - नाबार्ड
- ध्यान केंद्रित करना:
  - डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, कृषि-सेवाएँ
  - महिला एवं जनजातीय सशक्तिकरण (श्वेत क्रांति 2.0)

संस्थागत सुधार और आधुनिकीकरण -

- पूर्ण कम्प्यूटरीकरण
- तकनीक-संचालित शासन और निगरानी
- प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए क्लस्टर ट्रैकिंग सिस्टम
- हर 10 साल में कानूनी समीक्षा
- **83** से अधिक सुधार बिन्दुओं की पहचान की गई:
  - 58 कार्यान्वयन के अधीन, 3 पूर्ण

शिक्षण और प्रशिक्षण -

- **त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना**
- व्यावसायिक शिक्षा और सहकारी नेतृत्व प्रशिक्षण पर केंद्रित

आर्थिक प्रभाव (सहकारिता की वर्तमान भूमिका) -

- भारत के कृषि ऋण का 20%
- उर्वरक वितरण का 35%
- चीनी उत्पादन का 30%+
- दूध उत्पादन का 10%
- मत्स्य पालन क्षेत्र का 21%
- गेहूँ का 13% और धान की खरीद का 20%

भारत में सहकारिता का इतिहास -

- **प्रारंभिक चरण**
  - **1904**: अंग्रेजों द्वारा सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू किया गया।
  - **1912**: व्यापक सहकारी समिति अधिनियम लागू किया गया, जिसका दायरा बढ़ाया गया।
- **स्वतंत्रता के पश्चात्**
  - **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 43B)** में शामिल किया गया।
  - **कृषि, ऋण, डेयरी, चीनी, आवास** और **मत्स्य पालन** में तेजी से विस्तार।
  - **अमूल (श्वेत क्रांति)** जैसे ऐतिहासिक आंदोलन सहकारी मॉडल पर आधारित थे।
- **समय के साथ चुनौतियाँ**
  - राजनीतिक हस्तक्षेप
  - स्वायत्तता का अभाव
  - कमजोर शासन और पारदर्शिता
  - महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों का अप्रभावी प्रतिनिधित्व

97वां संविधान संशोधन (2011)

उद्देश्य

सहकारिताओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना।

सहकारी कार्यप्रणाली में स्वायत्तता, लोकतंत्र, जवाबदेही और व्यावसायिकता को बढ़ावा देना।

मुख्य प्रावधान

अनुच्छेद 19(1)(c): सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 43B (राज्य नीति के निदेशक तत्व): राज्यों को स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारिताओं के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कहा गया।

भाग IXB (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT): सहकारिताओं के संचालन हेतु विशिष्ट प्रावधानों की शुरुआत की गई:

- नियमित चुनाव
- बोर्ड की अधिकतम सदस्य संख्या: 21 सदस्य
- लेखा परीक्षा और जवाबदेही के अनिवार्य प्रावधान
- निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल: पाँच वर्ष

कानूनी चुनौती

2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने भाग IXB को बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होने की सीमा तक निरस्त कर दिया, यह कहते हुए कि इस संशोधन के लिए अनुच्छेद 368(2) के तहत आधे राज्यों से अनुमोदन आवश्यक था, जो नहीं लिया गया।

स्रोत: द हिंदू

डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (Deep Brain Stimulation-DBS)

संदर्भ

विश्वभर में 1.6 लाख से अधिक लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, जो विभिन्न न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग स्थितियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चिकित्सा प्रक्रिया है।

डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) क्या है?

- एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किये जाते हैं।
- **इसका उपयोग तंत्रिका संबंधी और मानसिक विकारों के इलाज के लिए मस्तिष्क की गतिविधि को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है।**

DBS कैसे काम करता है -

- इलेक्ट्रोड को तारों द्वारा छाती में प्रत्यारोपित एक छोटे पल्स-जनरेटिंग उपकरण (जैसे पेसमेकर) से जोड़ा जाता है।
- यह उपकरण लक्षित मस्तिष्क क्षेत्रों में हल्के विद्युत आवेग भेजता है।
- यह उत्तेजना असामान्य मस्तिष्क संकेतों या रासायनिक असंतुलन को ठीक करने में मदद करती है।

DBS के अनुप्रयोग -

- मुख्य रूप से गति संबंधी विकारों के लिए उपयोग होता है, विशेष रूप से:
  - पार्किंसंस रोग
  - आवश्यक कंपकंपी (Essential tremor)
  - डिस्टोनिया
- इसके अलावा निम्नलिखित को भी मंजूरी दी गई:
  - ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर (OCD)
- वर्तमान में निम्नलिखित पर अध्ययन किया जा रहा है:
  - गंभीर अवसाद
  - मिर्गी

कार्यप्रणाली -

- विद्युत संकेत भेजकर न्यूरॉन्स(तंत्रिकाओं) के संचार के तरीके को संशोधित करता है।
- दोषपूर्ण या अनियमित मस्तिष्क संकेतों को बाधित करता है, जिससे निम्नलिखित लक्षण कम होते हैं:
  - झटके
  - मांसपेशियों की जकड़न
  - अनैच्छिक गतिविधियाँ

DBS के लाभ -

- **गैर-विनाशकारी**: मस्तिष्क सर्जरी के विपरीत, जो ऊतकों को नष्ट कर देती है, DBS प्रतिवर्ती है।
- यदि डिवाइस बंद कर दिया जाए तो उत्तेजना तुरंत बंद हो जाती है।
- मस्तिष्क में कोशिकीय और नेटवर्क दोनों स्तरों पर सामान्य कार्य को बहाल करने में मदद करता है।

स्रोत: द हिंदू

कुदावोलाई प्रणाली या मतपत्र चुनाव

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने **चोल साम्राज्य** की **प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली कुदावोलाई** की प्रशंसा की, जिसमें "मतपत्र" का प्रयोग किया जाता था, तथा इसे मैग्ना कार्टा से भी पुराना बताया।

कुदावोलाई प्रणाली -

- **मतपत्र पद्धति:** उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे और उन्हें **एक बर्तन** (**कुदावोलाई**) में रखा जाता था।
- **निष्पक्ष चयन:** पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक तटस्थ बच्चे से सार्वजनिक रूप से विजयी पर्ची निकलवाई जाती थी।
- **प्रतीकात्मक अखंडता**: इस प्रणाली ने दैवीय यादृच्छिकता को नागरिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ दिया, जिससे वंशवादी राजनीति को हतोत्साहित किया गया।

सख्त पात्रता मानदंड -

- उम्मीदवारों के लिए जरुरी था कि वे:
    - कर चुकाने वाले भूमि स्वामी हों।
    - **35** से **70** वर्ष की आयु के हों।
    - वेदों या प्रशासनिक ग्रंथों में साक्षर हों।
    - आपराधिक आरोपों**,** ऋण**,** नशे की लत या भाई-भतीजावाद से मुक्त हों।

कठोर अयोग्यता मानदंड -

- उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित जाता था यदि:
    - वे वित्तीय धोखाधड़ी, नैतिक उल्लंघन या भ्रष्टाचार में शामिल होते थे।
    - दंड में जुर्माना या पद से निष्कासन होते थे, जैसा कि एपिग्राफिक साक्ष्य (उदाहरण के लिए, शिलालेख संख्या 24, एपिग्राफिया इंडिका) में देखा गया है।

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास (Exercise Bold Kurukshetra)

संदर्भ

बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का 14वां संस्करण जोधपुर में शुरू होने वाला है और 4 अगस्त 2025 तक चलेगा।

बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 के बारे में -

- **भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास।**
- **2005 में शुरू** हुआ यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी रक्षा सहयोग को दर्शाता है।

2025 के संस्करण में प्रतिभागी -

- **भारतीय सेना**: मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट
- **सिंगापुर सशस्त्र बल**: 4 सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजीमेंट

अभ्यास की प्रकृति -

- टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित वॉरगेम के रूप में आयोजित किया गया।
- यंत्रीकृत युद्ध के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को मान्य करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

उद्देश्य -

- दोनों सेनाओं की अंतर-संचालनीयता और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना।
- संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के ढांचे के तहत आयोजित किया गया।
- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

व्यापक रक्षा जुड़ाव -

- भारत और सिंगापुर नियमित रूप से निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क करते हैं:
    - उच्च-स्तरीय दौरे
    - नीतिगत संवाद
    - प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
    - व्यावसायिक सैन्य आदान-प्रदान
- भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करता है।
- आपसी समझ को बढ़ावा देता है और सहयोगात्मक क्षमताओं को गहरा करता है।

स्रोत: पीआईबी